न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी :– श्री श्योराम वर्मा आर.ए.एस.

नंबर मुकदमाः– 4/2021 दायरा दिनांकः– 3/3/2021

दीपदास पुत्र दानदास जाति कामड निवासी ग्राम तेनदेसर तहसील बीदासर जिला चूरू

.........प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बीदासर जिला चूरू, राजस्थान

...........अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956 सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

उपस्थितः– 1. श्री मनोज गोदारा एडवोकेट वास्ते प्रार्थी

2. पेरोकार राज

–: निर्णय :–

दिनांकः– 9/7/2021

प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि प्रार्थी के पिता के नाम के खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग उपभोग के खेत खसरा संख्या 267, 268, 271, 287, 288 तादादी क्रमशः 7.1326, 0.7462, 8.9537, 1.1508, 8.1696 हेक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 26.1529 हेक्टेयर भूमि खाता संख्या 274 में वाके रोही ग्राम तेनदेसर तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है जिसमें प्रार्थी के पिता का 1/6 हिस्सा है। इस भूमि में प्रार्थी के पिता का नाम नानदास पुत्र किस्तुरदास जाति कामड निवासी तेनदेसर दर्ज है जबकि प्रार्थी के पिता का सही व वास्तविक नाम दानदास पुत्र किस्तुरदास है। प्रार्थी के पिता दानदास का स्वर्गवास हो चुका है। रोही ग्राम तेनदेसर में खेत खसरा संख्या 798/104 तादादी 4.8562 हेक्टेयर भूमि में प्रार्थी के पिता का सही नाम दानदास पुत्र किस्तुरदास अंकित था। इस खसरा भूमि में प्रार्थी के पिता का स्वर्गवास होने के बाद जरीये विरासत नामान्तरण संख्या 1865 दिनांक 22.01.2019 द्वारा प्रार्थी का नाम दर्ज हो चुका है। हल्का पटवारी तेनदेसर ने खेत खसरा संख्या 267, 268, 271, 287, 288 तादादी क्रमशः 7.1326, 0.7462, 8.9537, 1.1508, 8.1696 हेक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 26.1529 हेक्टेयर भूमि खाता संख्या 274 वाके रोही ग्राम तेनदेसर तहसील बीदासर जिला चूरू में प्रार्थी के पिता का विरासत नामान्तरण करने से मना कर दिया। क्योंकि इस भूमि में प्रार्थी के पिता का नाम दानदास की जगह नानदास अंकित है। प्रार्थी के पिता के नाम से बने आधार कार्ड, चुनाव पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड, डाकघर पासबुक, वृद्वावस्था पेंशन प्रमाण पत्र, जॉब कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र आदि में प्रार्थी के पिता का नाम दानदास पुत्र किस्तुरदास अंकित है। नानदास प्रार्थी के पिता [illegible] नाम है जबकि दानदास प्रार्थी के पिता का दस्तावेजी नाम है। हल्का पटवारी तेनदेसर द्वारा प्रार्थी के पिता के नाम की कृषि भूमि खाता संख्या 274 का विरासत नामान्तरण प्रार्थी के नाम में नहीं करने से प्रार्थी को बैंक से

Signature Not Verified
Digitally signed by Sheoram Verma
Date: 2021.08.10 17:13:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned by CamScanner

ऋण लेने में परेशानी हो रही है। प्रार्थी ने दिनांक 01.12.2020 को अप्रार्थी से मौखिक रूप से निवेदन किया कि रोही ग्राम तेनदेसर के खाता संख्या 274 में प्रार्थी के पिता का नाम नानदास की जगह दानदास किया जावे। इस पर अप्रार्थी ने राजस्व रेकार्ड में संशोधन करने से साफ इनकार कर दिया। इसलिए प्रार्थी के लिए आवश्यक हो गया कि वोह न्यायालय के मार्फत राजस्व रेकार्ड में अपने पिता का नाम नानदास की जगह दानदास का संशोधन कराये। राजस्व रेकार्ड में दुरूस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रार्थी व प्रार्थी के भाई के आधार कार्ड में भी प्रार्थी के पिता का नाम दानदास अंकित है। प्रार्थना पत्र राजस्व रेकार्ड में संशोधन का है तथा वादगत खेत रोही ग्राम तेनदेसर तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है। इसलिए इस प्रार्थना पत्र की सुनवाई करने का श्रवणाधिकार एंव क्षैत्राधिकार श्रीमानजी के न्यायालय को प्राप्त है। प्रार्थना पत्र निर्धारित न्याय शुल्क पर अवधि भितर प्रस्तुत है। आदि आदि अंकित कर प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अप्रार्थी तहसीलदार बीदासर से राजस्व रेकार्ड की तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। तहसीलदार बीदासर ने अपनी रिपोर्ट इस न्यायालय में दिनांक 1.6.2021 को पेश की है तथा प्रार्थी के पिता का नाम शुद्व किया जाना उचित बताया है।

हमनें पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया। वकील प्रार्थी की बहस सुनी। पत्रावली पर आये दस्तावेजों को बगौर से देखा। प्रकरण राजस्व रेकार्ड में नाम दुरूस्ती का है जिसमें अप्रार्थी तहसीलदार बीदासर ने अपने जवाब में प्रार्थी के पिता का नाम शुद्व किया जाना उचित बताया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पहचान के दस्तावेजों में जैसे आधार कार्ड, परिचय पत्र, राशन कार्ड, जॉबकार्ड, पेंशन प्रमाण पत्र, डाकघर पासबुक आदि में प्रार्थी के पिता का नाम दानदास पुत्र किस्तुरदास अंकित है जबकि राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम नानदास पुत्र किस्तुरदास अंकित है जिसको प्रार्थी के पिता के अन्य दस्तावेजों के आधार पर शुद्व किया जाना उचित प्रतित होता है।

—: आदेश :—

अतः उपरोक्त तथ्यों के विवेचन के आधार पर रोही ग्राम तेनदेसर के खसरा संख्या 267, 268, 271, 287, 288 कुल तादादी 26.1529 हेक्टेयर की खातेदारी भूमि में प्रार्थी के पिता का नाम नानदास पुत्र किस्तुरदास को संशोधित किया जाकर दानदास पुत्र किस्तुरदास दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। पालनार्थ तहसीलदार बीदासर को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक........9/7/2021..........को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sheoram Verma
Date: 2021.08.10 17:13:53 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला-चूरू सत्यमेव जयते

Scanned by CamScanner